न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 04/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 01.02.2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. एम.के. एक्जिम (इण्डिया) लि. जयपुर मार्फत नरेश अजमेरा पुत्र बी.एम.अजमेरा मार्फत सुल्तान सिंह जाट पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी जयपुर		1. तहसीलदार रायपुर

प्रार्थना पत्र वास्ते तरमीन शुद्धीकरण अन्तर्गत धारा 131 व 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः— 1 अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला प्रार्थी
2 सरकारी पैराकार उपस्थित अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :— 23.03.2022

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा ग्राम खींवल पटवार हल्का रायपुर भू अभि निरीक्षक रायपुर के खसरा संख्या 2495/5 रकबा 47.8257 है. तथा 2504/16 रकबा 4.9372 किस्म बारानी दोयम खातेदारी भूमि आई हुई हैं। उक्त विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है उक्त भूमि पूर्व में राजस्व नक्शे में तरमीन हो रखी थी। जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न हैं।राजस्व नक्शे ऑनलाईन करते समय मौके पर प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि व पूर्व पुराने नक्शे के अनुसार तरमीन नहीं करते हुए गलत तरमीन अन्यत्र कर दी जिस कारण प्रार्थी को बहुत परेशानी का सामना करना पड रहा हैं। उक्त विवाद का आगे नहीं बढाने एवं मौके पर शांति कायम रखने हेतु उक्त राजस्व नक्शे कि तरमीन को सुधारा जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक हैं। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश करन की आवश्यकता हुई हैं।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि ग्राम खींवल पटवार हल्का रायपुर भू अभि निरीक्षक रायपुर के खसरा संख्या 2495/5 रकबा 47.8257 है. तथा 2504/16 रकबा 4.9372 किस्म बारानी दोयम की मौका कब्जा की जांच कर मौके पर कब्जे अनुसार एवं पूर्व कपडे वाले नक्शे के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में तरमीन में संसोधन करवाने हेतु आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार रायपुर ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। जबाव में खसरा नं 2495/5 तथा 2504/16 की तरमीम सेग्रीगेशन के तहत सहवन से गलत स्थान हो गई। पटवारी हल्का रायपुर द्वितीय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.02.2022 एवं संलग्न नक्शा ट्रेस तथा जमाबंदी 2074–77 की प्रति के अनुसार संशोधन किये जाने के आदेश पारित करने की अनुशंषा के साथ निवेदन किया हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, बहस के दौरान दिये गये तर्को पर गहनता पूर्वक मनन किया तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश जबाव पर कोई आपत्ति नहीं की हैं। तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार संशोधित किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित हैं।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर सरहद मौजा ग्राम खींवल पटवार हल्का रायपुर भू अभि निरीक्षक रायपुर के खसरा संख्या 2495/5 रकबा 47.8257 है. तथा 2504/16 रकबा 4.9372 किस्म बारानी दोयम में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीन संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। आदेश के साथ प्रस्तावित ट्रेस नक्शा, निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)